COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***SC ST case No. 77/2018***

Addl. Sessions Judge **I-cum-Special Judge SC/ST, Jamui**

Gujjar Miyan @ Nasir and Others Vs. State of Bihar

16-03-2026 अभियुक्त गुजर मियां उर्फ नसीर, गुल्लु मियां उर्फ शमशाद एवं राजू मियां उर्फ वसीर की हाजरी है। पुकार पर अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 504/34, 353 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 03.12.2018 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान किसी भी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य नही हुआ। साक्ष्य हेतु अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति हेतु साक्षियों के विरूद्ध समन, जमानतीय अधिपत्र एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र भी निर्गत हुआ किंतु वे साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुये। गत तिथि दिनांक 18.12.2025 को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत ना करने पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया गया। अतः आवेदक अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ दिया जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकोपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूँ। प्राथमिकी वर्ष 2018 का है। आवदेक अभियुक्त के विरूद्ध मामले में दिनांक 03.12.2018 को आरोप का गठन किया गया। तत्पश्चात अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा समस्त प्रक्रियाएं अपनायी जा चुकी है। उसके बावजूद भी मामले में किसी भी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य नही हुआ। अतः अभियुक्तगण, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच कर अभियुक्तगण को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इन्हे तथा इनके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।